बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15

बिहार सरकार

पत्रांक– 8 बजट (1) 16/ 2025..152 (नि0)..आ0 दिनांक–..20.. /..02.. /2026

प्रेषक

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक, पशुपालन,
बिहार, पटना।

सेवा में

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना।

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में मांग सं0 02, राज्य स्कीम के अधीन, मुख्य शीर्ष 2403 पशुपालन, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–102 पशु तथा भैस विकास, उपशीर्ष–0101 फ्रोजेन सीमेन बैंक, विपत्रकोड 02–2403001020101 के अन्तर्गत संबंधित कार्यालय के व्यय को वहन करने हेतु कुल ₹ 2,89,45,000/– (दो करोड़ नवासी लाख पैंतालीस हजार) मात्र का आवंटन ।**

महाशय

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में व्यय को वहन करने हेतु विभागीय राज्यादेश संख्या 1280 दिनांक 14.05.2020 तत्संबंधी शुद्धि पत्र ज्ञापांक 3690 दिनांक 10.11.2022 तथा पशुपालन निदेशालय का आदेश ज्ञापांक 1528 (नि0) दिनांक 16.04.2025 के आलोक में पशुपालन निदेशालय के आवंटनादेश संख्या 65 (नि0) आ0 दिनांक 29.08.2025 के क्रम में निम्न तालिका के अनुसार कुल ₹ 2,89,45,000/– (दो करोड़ नवासी लाख पैंतालीस हजार) मात्र आवंटित किये जाते है।

क्र0सं0	विस्तृत शीर्ष	विषय शीर्ष	आवंटित राशि		
			पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन (रू0 में)
1	2	3	4	5	6
1	31–सहायक अनुदान	0101.31 06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	5,37,55,000	2,89,45,000	8,27,00,000
योग– 02–2403.00.102.0101.31–सहायक अनुदान			**5,37,55,000**	**2,89,45,000**	**8,27,00,000**
(दो करोड़ नवासी लाख पैंतालीस हजार) मात्र।					

2. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में मांग सं0– 02, राज्य स्कीम के अधीन, मुख्य शीर्ष 2403 पशुपालन, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–102 पशु तथा भैस विकास, उपशीर्ष–0101 फ्रोजेन सीमेन बैंक, विपत्रकोड 02–2403001020101 के अन्तर्गत विकलित होगा ।

3. यह आवंटन राज्य स्कीम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिये बिहार पशुधन विकास अभिकरण (BLDA), पटना एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के सहयोग से मरंगा, पूर्णियाँ में स्थापित होने वाले नये फ्रोजेन सीमेन स्टेशन के सफल संचालन हेतु विभिन्न कोटि के संविदा आधारित 59 (उनसठ) पदों के सृजन की स्वीकृति एवं प्रबंधन बोर्ड का गठन सहित तथा मरंगा फ्रोजेन सीमेन स्टेशन के संचालन की योजना हेतु दिया जा रहा है।

4. इस राशि की निकासी निदेशक, पशुपालन, बिहार के द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी एवं बिहार लाईवस्टॉक डेवलमेन्ट ऐजेन्सी (BLDA), पटना के पी0एल0 खाता (संख्या–PBBPLA028) में अंतरित किया जायेगा।

5. वित्त विभाग के पत्रांक 2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98, 227/वि० दिनांक 28.03.2025 एवं 235/वि०, दिनांक 01.04.2025 के आलोक में राशि की निकासी में उक्त परिपत्रों के प्रत्येक अनुदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(क) एक मद की राशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाय।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग –1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाय।

(ग) आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी०भी० नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(घ) वित्तीय वर्ष 2025–26 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 15 मार्च 2026 तक अवश्य भेजा जाय।

6. जनहित में योजना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु वित्तीय/प्रशासनिक शक्तियों के अधीन बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवंटित राशि का व्यय किया जाये। इसके निमित्त संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित की जाती है।

विश्वासभाजन

निदेशक पशुपालन।

ज्ञाप सं0– 8 बजट (1) 16/ 2025..152 (वि0)..आ0 / पटना–15, दिनांक–..20../..02../2026

प्रतिलिपि– उप महालेखाकार (वन लोन एवं लेखा) बिहार, पटना को उनके पत्र संख्या टी0 ए0 –57–96–97 प0पा0 –9 –46 दिनांक 2 अगस्त 96 के प्रसंग में/उप महालेखाकार (अंकेक्षण) बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि– संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त /संबंधित जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– उप सचिव, वित्त विभाग, बिहार को उनके पत्रांक एम0–405/98 पार्ट –3909 वि० (2) दिनांक–30.06.99 के प्रसंग में/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा–09, योजना शाखा–06 एवं 10 पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग को (विभागीय वेवसाइट पर आवंटनादेश को अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक पशुपालन।

दूरभाष संख्या: 0612-2215962 ई-मेल: dirahd-bih@nic.in वेबसाइट: state.bihar.gov.in/ahd